

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज

पत्रांक- ५३।

दिनांक- 22/04/24

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, महाराजगंज।

सेवा में,

श्री मतोष कुमार
ग्राम-लोहजिरा, टोला- हिम्मतपुर
पोस्ट-सुरहिया, थाना-सिधवलिया
जिला गोपालगंज।

विषय-

शीर्ष राज्य योजनान्तर्गत निर्मित पथों का पंचवर्षीय अनुरक्षण एवं ATR निराकरण नहीं करने के कारण जमा राशि जब्त करने एवं एकरारनामा विखंडन करने के संबंध में।

प्रसंग-

सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, दरौदा का पत्रांक-कैम्प 01 दिनांक-21.03.2024, इस कार्यालय का पत्रांक 78। दिनांक 04/04/24

महाशय,

उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि अनेकों बार लिखित एवं मौखिक दूरभाष निर्देश के उपरान्त भी आपके द्वारा निर्मित पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है एवं पथ में लगे BRRMS के माध्यम से लगे ATR में वर्णित बिन्दुओं का निराकरण में रुची नहीं ली जा रही है, जो कार्य हित के विरुद्ध एवं एस0बी0डी0 / एकरारनामा के शर्तों का उल्लंघन है। पथों की सूची निम्नवत है-

क्रम संख्या	पथ का नाम	शीर्ष	सहायक अभियंता द्वारा निरीक्षण की तिथि	प्रदत्त ग्रेड	अंतिम मापी की तिथि
1.	Ramgarha Naua Tola To Naua Tola	GTSNY	21-03-2024	U	30-04-2024

अतः अनुरक्षण कार्य एवं ATR निराकरण नहीं कराने के कारण जमानत की राशि जब्त करने, काली सूची में डालने की अनुशंसा एवं एकरारनामा विखंडन की प्रक्रिया हेतु अंतिम मापी की उपरोक्त तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है, उक्त तिथि को आप या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि को स्थल पर उपस्थित रहने हेतु निदेश दिया जाता है। आपकी अनुपस्थिति में विभागीय अभियंताओं द्वारा लिया गया मापी अंतिम मापी माना जाएगा एवं इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, महाराजगंज।